2019/00023

अपीलीय अधिकरण एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जगरूप सिह यादव आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2019 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती विमला देवी धर्म पत्नी श्री राम बाबू पाटोदिया
2. श्री राम बाबू पोटोदिया पुत्र स्व॰ श्री विजयपाल

समस्त जाति खण्डेलवाल निवासी ई–53, अम्बाबाडी, जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती रितु खण्डेलवाल
2. श्री सुधीर खण्डेलवाल पुत्र श्री राम बाबू पाटोदिया

समस्त जाति खण्डेलवाल निवासी ई–53, अम्बाबाडी, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 20.06.2019 न्यायालय अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 07/2017 ब उनवानी श्रीमती विमला देवी बनाम श्रीमती रितु खण्डेलवाल

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी संख्या 2 उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 7-10-2019

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वरिष्ठ नागरिक है तथा उपरोक्त वर्णित पते पर निवास करते है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण के पुत्र व पुत्र वधु है जो अपीलार्थीगण की इजाजत से उक्त परिसर मे रिहायश कर रहे है। अपीलार्थी संख्या एक को उक्त प्लाट नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा दिनांक 29.11.1979 को आवंटित किया गया था जिसका पट्टा व नक्शा अपीलार्थी संख्या एक के नाम नगर विकास न्यास के द्वारा जारी किया गया । अपीलार्थीगण ने अपने खर्चे से उक्त प्लाट में दो मंजिला निर्माण कार्य करवाया, नल व बिजली के कनेक्शन प्राप्त किये । अपीलार्थीगण के एक पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं दो पुत्रियां जिनका नाम कमशः सुचिता खण्डेलवाल व सुनिता खण्डेलवाल है, जिनका विवाह अपीलार्थीगण ने कर दिया। सुचिता खण्डेलवाल व सुनिता खण्डेलवाल अपनी अपनी सुसराल में अपने परिवार के साथ रिहायश कर रही है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 का विवाह प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ वर्ष 2000 में किया था जो अपने परिवार के साथ

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

घुटने व कमर में दर्ज रहता है। रक्तचाप व अन्य बीमारियों से भी ग्रसित है। अपीलार्थी संख्या 2 हृदय रोग से पीडित है जिसके लगभग 14 वर्ष पूर्व बाईपास हुआ है तथा निरन्तर जैर ईलाज है। अपीलार्थी संख्या 2 विजय ट्रेडिंग के नाम से किराने का व्यवसाय करता है। जिसकी दुकान नम्बर 201 किशनपोल बाजार में स्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रत्यर्थी संख्या एक के प्रभाव में है। प्रत्यर्थीगण आये दिन अपीलार्थीगण के साथ गाली गलौच व मारपीट करते है। इससे परेशान हो कर अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण को अलग रहने की अनुमति दे दी। प्रत्यर्थीगण फस्ट फ्लोर पर रिहायश कर रहे है, इसके बावजूद अपीलार्थीगण को भद्दी भद्दी गालियां देते है, मारपीट करते है। प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थी संख्या 2 को अक्सर आवेशित करती रहती है उन्हें गुस्सा दिलाती है तथा उसके द्वारा कही बातों को रिकार्ड करती है और उन्हें झूंठे मुकदमें में फसाने की धमकी देती है । इससे अपीलार्थीगण परेशान हो कर कुछ समय के लिए हाथोज स्थित फार्म हाउस पर रहने चले गये, परन्तु वहां कोई सुविधा नहीं होने के व अक्सर बीमार रहने के कारण अपने निवास स्थान पर दिनांक 17.03.2017 को आये। वहां पर आने के साथ ही प्रत्यर्थी संख्या एक ने अपीलार्थी संख्या एक के साथ झाडू से मारपीट की और प्रत्यर्थी संख्या दो को भद्दी भद्दी गालियां दी और घर में घुसने से मना कर दिया । दिनांक 03.04.2017 को प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड दिया। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण का रहना दूभर कर रखा है। अपीलार्थी संख्या 2 ने हाथोज स्थित कृषि फार्म प्रत्यर्थी संख्या 2 की नाबालिग की स्थिति में अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम से खरीद किया था। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश से परिवाद आंशिक स्वीकार कर मकान नम्बर ई–53 अम्बाबाडी जयपुर के मकान पर प्रत्यर्थीगण को उपरी मंजिल पर व अपीलार्थीगण को ग्राउण्ड फ्लोर पर निवास करने, प्रत्यर्थीगण दुकान नम्बर 201 किशनपोल बजार में अपीलार्थीगण को किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करने, हाथोज स्थित कृषि फार्म के संबध में भी किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करने तथा प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण से सद्व्यवहार बनाये रखने, शिष्टाचार व नम्रता पूर्वक बातचीत करने व लडाई झगडा नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थीगण स भरण पोषण की राशि नहीं दिलाई और न ही प्रत्यर्थीगण को उक्त परिसर खाली करने का आदेश दिया गया । जिससे व्यथित हो कर यह अपील पेश कर अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 20.06.2019 को निरस्त कर अपील को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थीगण को मकान नम्बर ई–53 अम्बाबाडी जयपुर का प्रत्यर्थीगण से वास्तविक कब्जा दिलाये जाने एवं हाथेज में स्थित कृषि फार्म का एक मात्र मालिक होने से अज्ञाप्ति पारित करने एवं भरण पोषण राशि दिलाये जाने बाबत कोई आदेश पारित नही किया है। अतः अपीलाधीन आदेश में संशोधन किया जाकर अपीलार्थीगण को प्लाट नम्बर ई--53 अम्बाबाडी जयपुर का

की आज्ञाप्ति पारित की जो एवं प्रत्यर्थीगण को आदेशित किया जावे कि वह भरण पोषण की राशि 20,000/- रूपये प्रति माह अपीलार्थीगण को अदा करे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि विवादित सम्पत्ति अपीलार्थी संख्या 1 के नाम जरूर है, किन्तु इस मकान में 1994-1995 के पश्चात जो खर्चा किया गया है। उसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 का रूपया भी लगा है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ही 1999 के पश्चात से पूरे घर का खर्चा चला रहा है। प्रत्यर्थीगण ने आज दिन तक अपीलार्थीगण से ना तो गाली गलौच की है और ना ही मारपीट की है। परिवाद को रंग देने व न्यायालय की सहानूभूति प्राप्त करने हेतु सभी आरोप असत्य, झूंठे, व आधारहीन अंकित किये गये है। प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण को बीस हजार रूपया नहीं बल्कि तीस हजार रूपया प्रति माह उनके कहे अनुसार सन् 2015 से अदा करता आ रहा है। अपीलार्थीगण धनाढ्य है व कई सम्पत्तियों के मालिक जिनकी कीमत कराडों करोडों रूपया है जिसमे प्रत्यर्थी संख्या 2 की भी मेहनत से कमाया हुआ लाखों रूपया लगा हुआ है। अपलार्थी संख्या 2 का पुश्तैनी मकान भी है हिस्सा है जो किराये पर दिया हुआ है। अपीलार्थीगण द्वारा अधनियम की सीमा से बहार अनुतोष चाहे गये है। इस अधिनियम की धारा 4 में स्पष्ट अंकित है कि माता पिता अपने स्वयं के अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है वे ही अधिनियम के तहत अनुतोष प्राप्त कर सकते है। भरण पोषण का अर्थ सामान्य जीवन व्यतीत करने से लिया गया तथा यह भी अंकित है कि माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके । अपीलार्थीगण की प्रवति झगडालू किस्म की है । आये दिन झगडे करते रहते है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सी सी टी वी कैमरे लगवाये है, ताकि अपीलार्थीगण की हरकतें रिकार्ड हो सके। अतः अपील खारिज फरमावें। ?

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रथम अपीलार्थीगण ने मकान नम्बर ई-53 अम्बाबाडी जयपुर से प्रत्यर्थीगण को बेदखल एवं हाथोज स्थित फार्म हाउस बाबत अपीलार्थीगण के विरूद्ध आज्ञप्ति पारित कराना चाहा है। अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि यदि इस बिल के प्रावधान के प्रारम्भ होने के पश्चात वरिष्ठ नागरिक उपहार के जरिये या अन्यथा अपनी सम्पत्ति इस शर्त के साथ अंतरित करता है कि अन्तरणी मूल सुख, सुविधाए और मूल भौतिक आवश्यकताए प्रदान करेगा और ऐसा अन्तरणी ऐसी सुख सुविधाओं और भौतिक आवश्यकताए प्रदान करने में असफल हो जाता है या मना कर देता है, तो सम्पत्ति का उक्त अन्तरण कपट या छल द्वारा आनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया माना जायेगा और वरिष्ठ नागरिक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा अन्तरण शून्य घोषित किया जावेगा । इन दोनों ही मामलों में सम्पत्ति का ऐसा कोई अन्तरण कपट या छल द्वारा अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया जाना नहीं पाया गया है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नही है।

8. द्वितीय अपीलाथीगण ने प्रत्यर्थीगण से 20,000/-रूपये प्रति माह भरण पोषण राशि की मांगी की है जिस पर प्रत्यर्थीगण ने 30,000/-रूपया प्रति माह दिये जाने का कथन किया है, किन्तु राशि दिये जाने की पुष्टि में किसी प्रकार की रसीद इत्यादि प्रस्तुत नही की गई। अधिनियम की धारा 9 (2) ... के लिए अधिकतम राशि 10,000/-रूपया दिये जाने का प्रावधान है। अतः

राशि दिये जाने के आदेश दिये जाते है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ अधिकरण का शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर सुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 7-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर